

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम :- उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत जनपद चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत धूनाघाट-बसौट मो0मार्ग का निर्माण।(ल0 2.750 कि0मी0)

वृक्षारोपण स्थल का नाम :- रमैला

रोपित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या :- 6000.00 पौधे

रोपित प्रजातियों :- उत्तीस, बॉच, देवदार आदि

क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
प्रथम चरण					
1	सर्वे एवं सीमांकन	1.5	हैक्टेयर	97	145.50
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	1.5	हैक्टेयर	584	876.00
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) प्र० हे० 84 घन मी० औसत	126	घन मी०	337	42462.00
4	अग्रिम मृदा कार्य (0.30x0.30x0.45)	3000	गड्ढे	7.33	21990.00
5	निरीक्षण बटिया बनाना	1.5	हैक्टेयर	485	727.50
6	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	3000	पौध	5.89	17670.00
7	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य।	1.5	प्र०हे०	7750	11625.00
8	अन्य व्यय	1.5	हैक्टेयर	400	600.00
	योग प्रथम चरण				96096.00
द्वितीय चरण					
1	गड्ढा भरण कार्य (0.30x0.30x0.45)	3000	गड्ढे	1.15	3450.00
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	3000	पौध	1.15	3450.00
3	पौध दुलान कार्य (25 प्रतिशत नंगी तथा 75 प्रतिशत बैंग)	3000	पौध	6.39	19170.00
4	पौधरोपण व थालाबन्दी	3000	पौध	2.06	6180.00
5	निराई गुड़ाई व मल्लिचंग (दो बार)	3000	पौध	1.52	4560.00
6	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव पर व्यय	1.5	हैक्टेयर	4768	7152.00
7	8.1 :- वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे धास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हैक्टेयर	1.5	हैक्टेयर	350	525.00
	8.2 :- सुरक्षा दीवार/घेरबाढ़ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	1.5	हैक्टेयर	225	337.50
	8.3 :- वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना - (अ) प्रोत्साहन/प्रशिक्षण	1.5	हैक्टेयर	600	900.00
8	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौध दुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि कय, वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने के लिये पॉलीथीन सीट कय वर्ष में दो-तीन बार फोटोग्राफी, फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डॉक्यूमेंटेशन आदि कार्य।	1.5	हैक्टेयर	700	1050.00
	योग द्वितीय चरण				46774.50
तृतीय चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.5	हैक्टेयर	7152	10728.00
2	2.1 :- वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे धास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हैक्टेयर	1.5	हैक्टेयर	350	525.00
	2.2 :- सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना	1.5	हैक्टेयर	225	337.50

	योग पष्ठम चरण				12355.50
	नवम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.5	हैक्टेयर	7152	10728.00
2	2.1 :- वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे धास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हैक्टेयर	1.5	हैक्टेयर	350	525.00
	2.2 :- सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना	1.5	हैक्टेयर	225	337.50
	2.3 :- वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन/प्रशिक्षण देना -	1.5	हैक्टेयर	510	765.00
	योग पष्ठम चरण				12355.50
	दशम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.5	हैक्टेयर	7152	10728.00
2	2.1 :- वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे धास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हैक्टेयर	1.5	हैक्टेयर	350	525.00
	2.2 :- सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना	1.5	हैक्टेयर	225	337.50
	2.3 :- वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन/प्रशिक्षण देना -	1.5	हैक्टेयर	510	765.00
	योग दशम चरण				12355.50
	महायोग				229696.50
	अथवा				229697.00
	किन्तु देय	1.5	हैक्टेयर	143000	214500.00

Pranish
ज.ए

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत (महाराष्ट्र)

9.5

उप प्रभारी वनाधिकारी
लोहापाट

वन क्षेत्राधिकारी देवीधुरा
रेन्ज देवीधुरा
चम्पावत वन प्रभाग

प्रभारी वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग
चम्पावत